सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आयोग के संबंध में आवश्यक जानकारी

संगठन की विशिष्टियाँ एवं कृत्य एवं कर्तव्य

उद्देशिका (मिशन स्टेटमेंट)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, का गठन राज्य शासन द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी, ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन–साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा–निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग, इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा–सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप–विद्युत एवं जल–विद्युत तथा विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले तथा साथ ही साथ पर्यावरण की स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव भी न हो।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने के अनुक्रम में आयोग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए हैं तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में आयोग द्वारा तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 104(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन भी आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। उक्त दोनों प्रतिवेदन तथा संपरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002/ दिनाँक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। राज्य शासन के आदेश क्रमांक F-1/ 38/2004/13/1 दिनाँक 10/06/2004 के द्वारा आयोग में श्री एस. के. मिश्र, अध्यक्ष तथा श्री शरत चंद्र, सदस्य के पदों पर नियुक्त किये गये। अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष आयोग के मुख्य कार्यपालक होते हैं। वर्त्तमान में आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज डे तथा श्री बी.के.शर्मा सदस्य है।

आयोग का संगठनात्मक चार्ट :—

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। आयोग का वर्तमान संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है :

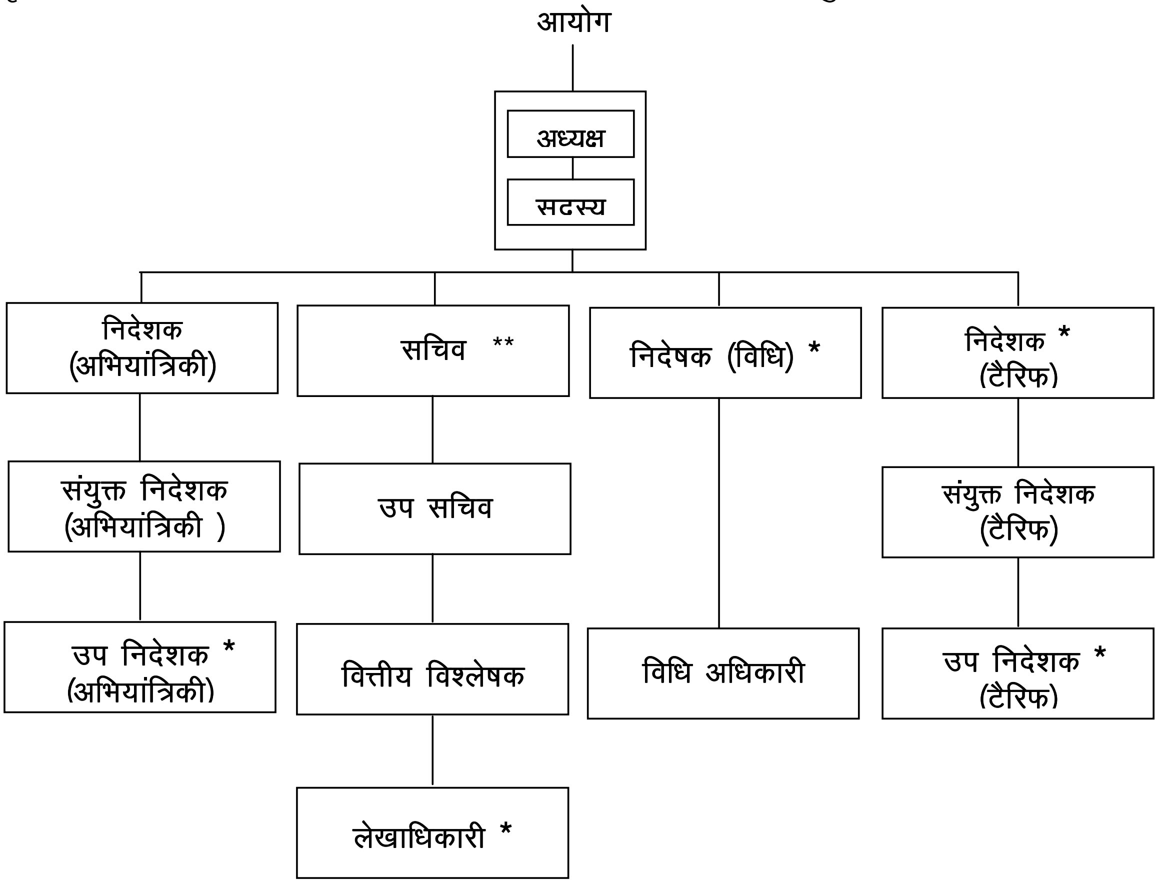

* वर्तमान स्थिति में पद रिक्त ।

** वर्तमान स्थिति में सचिव के अतिरिक्त कार्य दायित्व का निर्वहन निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा किया जा रहा है ।

आयोग के कृत्य – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय/आपूर्ति, पारेषण और Wheeling (व्हीलिंग) थोक विक्रय, थोक या फुटकर आपूर्ति के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण लायसेंसी द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, लायसेंसधारी विद्युत व्यापारी, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाता है, उस प्रक्रिया एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा व्हीलिंग सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना ।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार के लिये लाइसेन्स प्रदाय करना।

(v) नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्त्रोतों से ग्रिड से संयोजन के लिये उपयुक्त उपाय करना, विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण लायसेन्सी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए भी विनिर्दिष्ट करना ।

(vi) लायसेन्सियों और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निपटारा करना और माध्यस्थम (arbitration) के लिये किसी विवाद को Refer (निर्दिष्ट) करना।

(vii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत (consistent) राज्य ग्रिड कोड का बनाना।

(viii) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों (standards) का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(ix) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(x) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को सौंपा गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना, और धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य एवं दूरभाष क्रमांक आदि

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	फोन न.	कृत्य एवं शक्तियाँ	वेतनमान
1	श्री मनोज डे	अध्यक्ष	0771–4073550 0771–2445857	आयोग के मुख्य कार्यपालक है तथा सदस्य महोदय के साथ मिलकर टैरिफ निर्धारण व अन्य याविकाओं का निराकरण कर आदेष / निर्णय पारित करना	रू. 80000 / – एवं अन्य भत्ते
2	श्री बी.के.शर्मा	सदस्य	0771–4073551 0771–2445847	अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर टैरिफ निर्धारण व अन्य याविकाओं का निराकरण कर आदेष / निर्णय पारित करना	37400–67000 एवं अन्य भत्ते
3	श्री एन.के.रूपवानी	सचिव / संचालक	0771–4048788	(1) याचिकाओं / आवेदनों को प्राप्त करना, इनकी सार एवं संक्षेपिकाऐं तैयार करवाना, आयोग के आदेषों के प्रतिलिपियों को अभिप्रमाणित करना,, विभिन्न कार्यों में आयोग का सहयोग करना, आयोग के आदेषों का अनुपालन सुनिष्चित करना आदि। (2) आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विष्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	रू. 30000 / – संविदा नियुक्ति
4	श्री जी..एस.वर्मा	उप सचिव	0771–4073555 0771–4073553	आयोग को सचिव कों उनके कार्यों में सहयोग देना तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके कृत्यों का निर्वहन करना।	रू. 15316 / – संविदा नियुक्ति
5	श्री एस.पी.शुक्ला	संयुक्त संचालक (इजीनियरिंग)	0771–4073568	आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विष्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	15600–39100 7600 ग्रेड पे
6	श्री विनोद अग्रवाल	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	0771–4073568	आयोग के समक्ष आने वाले टैरिफ याचिकाओं के तकनीकी पक्ष का विष्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	12975 – 500– 20675 – 700– 24175

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	फोन न.	कृत्य एवं शक्तियाँ	वेतनमान
7	श्री सुरोबिन रॉय	वित्तीय विष्लेषक	0771–4073552	आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने वाले मामलों में आवष्यक होने पर वित्तीय स्थिति का विष्लेषण करना एवं आयोग को अन्य वित्तीय सलाह देना।	15600–39100 7600 ग्रेड पे
8	श्री विवेक गनोदवाले	विधि अधिकारी	0771–4073557	आयोग के समक्ष प्रतुत हाने वाले मामलों की वैधानिक प्रावधानोंक अनुसार छानबीन कर आयोग को अवगत करना तथा आवष्यकतानुसार विधिक सलाह देना।	15600–39100 6600 ग्रेड पे
9	श्री एम. मुस्तफा	क.ले.अधिकारी	0771–4073561	आयोग के लेखांकन का कार्य	9300–34800 4200 ग्रेड पे
10	श्री अमल गुहा	निज सहायक	0771–4073551	आयोग के सदस्य निज सहायक	9300–34800 4300 ग्रेड पे
11	श्री पी. वेनुगोपल	स्टेनोग्राफर	0771–4048585	अंग्रेजी शीघ्रलेखन संबंधी काय	5200–20200 2800 ग्रेड पे
12.	श्री अजीत देवांगन	स्टेनोग्राफर	0771–4048585	अंग्रेजी शीघ्रलेखन संबंधी काय	5200–20200 2800 ग्रेड पे
13	श्री इंद्रेष गुप्ता	कम्प्यूटर सहायक	0771–4048585	कम्प्यूटर से संबंधित कार्य	5200–20200 2400 ग्रेड पे
14	श्री नीरज वर्मा	कम्प्यूटर सहायक	0771–4048485	कम्प्यूटर से संबंधित कार्य	5200–20200 2400 ग्रेड पे
15	श्री अषोक मंडल	का.सा.वर्ग–3	0771–4073562	लेखा एवं पुस्तकालय से संबंधी कार्य	5200–20200 1900 ग्रेड पे
16	श्री महेष टेम्भूर्णे	का.सा.वर्ग–3	0771–4073562	स्थापना एवं आवक जावक संबंधी कार्य	5200–20200 1900 ग्रेड पे
17	श्री ए.वल्ला नायडू	स्टेनो–टायपिस्ट	0771–4048585	अंग्रेजी शीघ्रलेखन संबंधी कार्य	5200–20200 1900 ग्रेड पे
18	कु. जयंती मंडावी	स्टेनो–टायपिस्ट	0771–4048585	हिन्दी शीघ्रलेखन संबंधी कार्य	5200–20200 1900 ग्रेड पे

निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

आयोग की कार्यप्रणाली

अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आयोग अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा एवं इसमें उपभोक्ताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करेगा। आयोग की कार्यप्रणाली न्यायिक कार्यप्रणाली के तुल्य है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा ''कार्य संचालन विनियम, 2009 ''बनाया गया है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन / याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क लाईसेंसी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।

- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।

- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक तक समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निपटाने की कोशिश करेगा।

- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है ।

- विद्युत अधिनियम के अनुसार आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया माध्यमस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत संचालित की जायेगी ।

- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के लिए आदेश कर सकेगा ।

- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।

- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार के शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है ।

- इसके साथ यदि व्यक्ति निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।

- आयोग के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई खुले रूप से होती है जहाँ कोई भी संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकता है। उपर्युक्त मामलों में उपभोक्तओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

आयोग की शक्तियाँ

विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज की खोज कर प्राप्ति और उसकी प्रस्तुति के लिये या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य महत्वपूर्ण विषय (object);

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन (reviewing) करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौंपे गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनने के पूर्व प्रारूप विनियमों तथा अन्य दिशा निर्देशों पर जन सामान्य तथा विशेष रूप से प्रभावित घटक–संस्थाओं, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, अनुज्ञप्तिधारियों, शासन, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से उपरोक्तानुसार सुझाव आपत्तियाँ तथा टिप्पणियाँ प्राप्त की जाती है ।

आयोग द्वारा विनियम बनाने की प्रक्रिया अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा की जाती है। अधिसूचना का अभिप्राय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। धारा 181 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा बनाए गए समस्त विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

अतः पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

- प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट पर रखे जायेंगे तथा प्रारूप विनियमों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय व पुस्तकालय में कार्यालय के कार्य–अवधि में कार्य दिवसों में उपलब्ध होंगी।
- प्रारूप विनियमों के बारे में आपत्ति/सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु सर्वाधिक प्रसारित दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा आयोग के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूचना में संक्षेप में विनियम की विषय–वस्तु समाविष्ट होगी।

- प्रारूप विनियम की एक–एक प्रतिलिपि निम्नलिखित में से प्रत्येक को भेजी जायेगी':–

  (क) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग में

  (ख) राज्य सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को ।

  (ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को ।

- दो सप्ताह या उससे अधिक समय जैसा आयोग द्वारा समुचित माना जाये, आपत्तियाँ, सुझाव व टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा।

- समुचित प्रकरणों में आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर अथवा अन्यथा प्रारूप विनियम पर जन–सुनवाई की जा सकती है।

- विनियम को अंतिम रूप जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा। प्रकाशन के उपरांत विनियम को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना आयोग के आम सूचना–पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रेस–विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार स्थापना वर्ष 2004 से लेकर अब तक आयोग ने अनके विनियम तैयार किये हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ का निर्धारण

आयोग के द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार विद्युत कम्पनियों को प्रति वर्ष नवम्बर के अन्त तक विद्युत दरों के निर्धारण हेतु याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।

टैरिफ निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(i) याचिका की प्राप्ति

(ii) आपत्तियां एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिये प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन

(iii) क्म्पनियों द्वारा याचिका में प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो तो उसका प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन

(iv) टैरिफ आवेदन पर विचार के लिए राज्य विद्युत सलाहकार समिति की विशेष बैठक आहूत करना

(v) राज्य के विभिन्न स्थानों पर जन सुनवाई करना

(vi) टैरिफ आदेश पारित करना
(आवेदन से लेकर आदेश पारित होने की अवधि अधिकतम 120 दिवसों की होती है)

अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मानदंड

टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्तुत आवेदन को आगे कार्यवाही हेतु स्वीकार करने के दिनांक से 120 दिनों के भीतर आवेदन का अंतिम निराकरण करने की समय सीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है। अन्य मामलों का निराकरण यथा संभव शीघ्रातिषीघ्र किया जाता है।

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम विनियम आदि

आयोग ने अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न विनियम बनाये हैं। जो आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है।

बजट संबंधी जानकारी

विद्युत अधिनियम,2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्र.36 सन् 2003) की धारा 180 उपधारा (2) के खण्ड (ज) एवं (झ) सहपठित धारा 104 एवं धारा 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 बनाया गया। जिसके तहत आयोग द्वारा वित्तीय बजट प्रत्येक वर्ष के सितम्बर माह के अंत तक तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। तद्नुसार राज्य शासन द्वारा बजट का आवष्यक प्रावधान करती है।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रत्येक आवेदन 10/— रू. के आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावेगा। फोटोकॉपी हेतु प्रतिपेज 2/— रू. की दर से शुल्क देय होगा ।

आयोग से संबंधित अन्य सभी जानकारी आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है।

अपीलीय अधिकारी—

श्री एन.के.रूपवानी, सचिव
फोन न. 0771—4048788

लोक सूचना अधिकारी —

श्री जी.एस.वर्मा, उप सचिव,
फोन न. 0771—4073555
फैक्स न. 0771—4073553

सहायक जन सूचना अधिकारी—

श्री विवेक गनोदवाले, विधि अधिकारी
फोन न. 0771—4073557